बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांकः–प्र01 / ग्रा0 वि0–01 / 2013–   पटना, दिनांक–__________ /

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

विषयः–राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत आपूर्त्ति किये गये उपकरणों / सामग्रियों पर भुगतान किये गए प्रवेश शुल्क की राशि रू0 326066252 / –(बत्तीस करोड़ साठ लाख छियासठ हजार दो सौ बावन) रूपये वित्तीय वर्ष 2015–16 में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0, पटना को भुगतान करने हेतु आवंटन की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–729 दिनांक–02.03.2016 के आलोक में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत आपूर्त्ति किये गये उपकरणों / सामग्रियों पर भुगतान किये गए प्रवेश शुल्क की राशि रू0 326066252 / –(बत्तीस करोड़ साठ लाख छियासठ हजार दो सौ बावन) रूपये वित्तीय वर्ष 2015–16 में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0, पटना को गैर योजना मद से भुगतान करने हेतु आवंटन स्वीकृत एवं विमुक्त किया जाता है।

आवंटन की स्थिति निम्न प्रकार है :–

बजट उपबंध वित्तीय वर्ष 2015–16	पूर्व में आवंटित राशि	वर्त्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	बजट उपबंध की शेष राशि
524232000.00	198164862.00	326066252.00	524231114.00	886.00

2. यह राशि मुख्य शीर्ष –2801–बिजली, उपमुख्य शीर्ष–05–संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपकमों को सहायता, उपशीर्ष–0001 नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0, पटना (राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत सामानों पर भुगतान किये गये प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति) विषय शीर्ष–33 01 सब्सिडी विपत्र कोड एन0–2801051900001, माँग सं0–10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में उपबंधित राशि (पुनरीक्षित) से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि राशि की निकासी के पूर्व सारी प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद ही राशि की निकासी करेंगे।

कृ0पृ0ऊ0

4. इस राशि की निकासी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना द्वारा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 को बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से की जायेगी।

5. आवंटित राशि निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रसंगाधीन आवंटन आदेश संख्या एवं तिथि के साथ संबंधित विषय शीर्ष का भी उल्लेख करेंगे तथा विपत्र पर चिह्नित राशि बजट उपबन्ध के अन्तर्गत होने का प्रमाण–पत्र भी अंकित करेंगे।

6. इस संबंध में पूर्व में निर्गत आवंटन आदेश सं0–प्र01/ग्रा0 वि0–01/2013–103 दिनांक 01.12.2015 को निरस्त किया जाता है।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(प्रत्यय अमृत)
प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग।

ज्ञापांक– प्र01/ग्रा0 वि0–01/2013– पटना, दिनांक–________/

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग।

ज्ञापांक– प्र01/ग्रा0 वि0–01/2013– 21 पटना, दिनांक– 16/03/2016/

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0/वरीय प्रबंधक वित्त एवं लेखा, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा/ प्रशाखा–7, वित्त विभाग, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3
प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग।

E-/NP-HL-Sanctioning-2015-16